उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-5/2019/135/तीस-4-2019-20(सा0)/2018
लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी, 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 65 की उपधारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम सन 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-47/2018/1711/तीस-4-2018-20(सा0)/2018, दिनांक 16 दिसम्बर, 2018 द्वारा गजट में पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान(पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-162 का संशोधन — 2. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये नियम-162 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
162- परिवहन यानों का रंगा जाना-	162. मोटर यानों का रंगा जाना-
(1) नियम 110 और उपनियम(2) के अधीन रहते हुए चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार जो मूलरूप से सेना की रही हो, निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग में रंगी जायेगी- (क) सफेद; (ख) काला; (ग) हरा;	(1) नियम 110 और उपनियम (2) के अधीन रहते हुए चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार जो मूलरूप से सेना की रही हो, निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग में रंगी जायेगी- (क) सफेद; (ख) काला; (ग) हरा;
(2) नगर क्षेत्र में अनन्य रूप से संचालन हेतु अनुज्ञात प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी- परन्तु यह कि सी०एन०जी० चालित तिपहिया यानों के लिए रंग या रंग संयोजन ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाये; परन्तु यह और कि यह उपनियम, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-85-क में विनिर्दिष्ट मोटर टैक्सियों पर लागू नहीं होगा।	(2) नगर क्षेत्र में अनन्य रूप से संचालन हेतु अनुज्ञात प्रत्येक तिपहिया यान काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी। परन्तु यह कि सी०एन०जी० चालित तिपहिया यान को हरे रंग में रंगा जायेगा। परन्तु यह और कि समस्त इलैक्ट्रिक तिपहिया यान, सफेद रंग में रंगे जायेंगे। परन्तु यह और भी कि महिलाओं द्वारा और उनके लिए अनन्य रूप से चालित समस्त तिपहिया यानों को गुलाबी रंग में रंगा जायेगा। परन्तु यह और भी कि यह उपनियम, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-85-क में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विनिर्दिष्ट मोटर टैक्सियों पर लागू नहीं होगा
(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट यानों से भिन्न ठेका गाड़ी को मैरून या काला या लाल रंग से भिन्न किसी अन्य रंग में रंगा जायेगा और ऐसे यान की बॉडी के बाह्य भाग के मध्य पर पांच सेंटीमीटर के मैरून रंग का फ्लोरेसेन्ट क्षैतिज रिबन होगा तथा मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी की दशा में 60 सेंटीमीटर व्यास और मोटर टैक्सी की दशा में 25 सेंटीमीटर व्यास के सर्किल के भीतर ठेका गाड़ी के दोनों ओर शब्द "ठेका गाड़ी" उल्लिखित किये जायेंगे।	(3) उपनियम(2) में विनिर्दिष्ट यानों से भिन्न ठेका गाड़ियां, निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी रंग में रंगी जायेंगी :- (क) बस/मिनी बस की दशा में बॉडी के हुड एवं बाहरी भाग पर 35 सेंटीमीटर चौड़ाई का आसमानी नीला चमकीला (फ्लोरेसेन्ट) क्षैतिज फीता होगा। (ख) बाड़ी के बाह्य भाग पर फीते की पट्टी के मध्य साठ सेंटीमीटर व्यास के गोले में शब्द "ठेका गाड़ी" काले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। (ग) फीता, यान की खिड़की से तीस सेंटीमीटर नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। (घ) मैक्सी/टैक्सी कैब की दशा में, बॉडी के हुड एवं बाहरी भाग पर बीस सेंटीमीटर चौड़ाई का आसमानी नीला चमकीला (फ्लोरेसेन्ट) क्षैतिज फीता होगा। (ड.) बॉड़ी के वाह्य भाग पर फीते की पट्टी के मध्य पच्चीस सेंटीमीटर व्यास के गोले में शब्द "टैक्सी" काले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। (च) फीता, यान की खिड़की के पन्द्रह सेंटीमीटर नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। (छ) बाईक टैक्सी की दशा में केवल शब्द "बी/टैक्सी" सफेद रंग में टैक्सी के दोनों ओर 20 सेंटीमीटर के गोले में प्रदर्शित किया जायेगा। परन्तु यह कि विशेष रूप से विद्यालय ले जाने वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त यानों को पीले रंग में रंगा जायेगा।
(4) सैनिक मोटरयान से भिन्न किसी मोटर यान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सैनिक मोटर यानों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रंग से भिन्न किसी रंग में न रंगा गया हो।	(4) सैनिक मोटरयान से भिन्न किसी मोटर यान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सैनिक मोटर यानों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रंग से भिन्न किसी रंग में न रंगा गया हो।

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-5(1)/2019/135/तीस-4-2019-20(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-5(2)/2019/135/तीस-4-2019-20(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 28 फरवरी, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50-50 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-5(3)/2019/135/तीस-4-2019-20(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा राजकीय मुद्रणालय से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशित अधिसूचना की पेपर कटिंग शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- विधायी अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHAHAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5/2019/135/XXX-4-2019-20(sa)/2018, dated 28 February, 2019.

Notification

No.5/2019/135/XXX-4-2019-20(sa)/2018
Lucknow: Dated 28 February, 2019

In exercise of the powers under clause (d) of sub-section (2) of section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after previous publication thereof in the Gazette vide Government notification no. 47/2018/ 1711/xxx-4-2018-20(sa)/2018 dated 16 December, 2018, as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988:-

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (TWENTY FIFTH AMENDMENT) RULES, 2019

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Fifth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 162

2-In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, for rule-162 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	Rule as hereby substituted
162. Painting of Motor Vehicles– **(1)** Subject to Rule 110 and sub-rule (2) a motor vehicle of four-wheel drive such as jeep and commander cars which originally belonged to the military shall be painted in any of the following colours – *(a)* White; *(b)* Black; *(c)* Green; (2) **Every motor-cab** permitted to ply exclusively within city area,	**162. Painting of Motor Vehicles–** (1) Subject to Rule 110 and sub-rule (2) a motor vehicle having four-wheel drive such as jeep and commander cars which originally belonged to the military shall be painted in any of the following colours – *(a)* White; *(b)* Black; *(c)* Green; (2) **Every three wheeled vehicle** permitted to ply exclusively within

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

shall be painted in black colour with a yellow hood and no other motor car shall be painted in this colour combination: Provided that colour or colour combination for CNG operated three wheeled vehicles shall be such as may be decided by the State Transport Authority or the concerned Regional Transport Authorities, as the case may be: Provided further that this sub-rule shall not apply to the motor cabs specified in Rule 85-A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.	city area, shall be painted in black colour with a yellow hood and no other motor car shall be painted in this colour combination: Provided that CNG operated three wheeled vehicle shall be painted in green colour. Provided further that all electric three wheelers shall be painted in white colour. Provided also that all three wheeled vehicles operated by and for ladies exclusively shall be painted in pink colour. Provided also that this sub-rule shall not apply to the motor cabs specified in rule 85-A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
(3) Contract Carriage, other than those specified in sub-rule (2) shall be painted in any colour other than maroon or black or red colour with a maroon fluorescent horizontal ribbon of five centimeters and with at centre of the exterior of the body of such vehicle and the words "Contract Carriage" shall be mentioned on two sides of the "contract carriage" within a circle of sixty centimeters diameter in case of other than motor cab and within a circle of twenty five centimeters diameter in case of motor cab.	(3) Contract carriages other than those specified in sub-rule (2) shall be painted in any colour with following conditions:- (a) In case of bus/mini bus there shall be sky blue fluorescent horizontal ribbon of thirty five centimetres width on the hood and exterior of body. (b) At centre of the ribbon strip on exterior of the body, the words "contract carriage" shall be exhibited within a circle of sixty centimetres diameter in black colour. (c)Ribbon shall be exhibited thirty centimetres below the window of vehicle. (d) In case of maxi/taxi cab, there shall be sky blue fluorescent horizontal ribbon of twenty centimetres width on the hood and exterior of body. (e) At the centre of the ribbon strip

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	on exterior of the body, the word “taxi” shall be exhibited within a circle of twenty five centimetres diameter in black colour. (f) Ribbon shall be exhibited fifteen centimetres below the window of vehicle. (g) In case of bike taxi only word "b/taxi" shall be exhibited in white colour within circle of twenty centimetres on both sides of taxi; Provided that vehicles used for carrying school children exclusively shall be painted in yellow colour.
(4) No Motor vehicle other than military motor vehicle shall be used at any public place unless it is painted in any colour different from those usually used for military motor vehicles.	(4) No Motor vehicle other than a military motor vehicle shall be used at any public place unless it is painted in any colour different from those usually used for military motor vehicles.

By Order,

(Aradhana Shukla)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।